



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3064 वर्ष 2026

विभव भूषण उपाध्याय

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: राकेश त्रिपाठी-1

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. प्रतिवादी संख्या 4 अजय कुमार उपाध्याय ने विवादित संपत्ति के उचित सीमांकन के लिए 29.08.2025 को जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन पर रिपोर्ट मांगी गई और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 3 (उप मंडल अधिकारी, तहसील-रसादा, जिला बलिया) ने 15.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 2 (जिला मजिस्ट्रेट, बलिया) के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4-अजय कुमार उपाध्याय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन पर आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

4. रिट याचिका में कोई दम नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के विरुद्ध ऐसी सभी आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"